



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062026-273221  
CG-DL-E-06062026-273221

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2775]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 2775]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

का.आ. 2869(अ).— आयुष मंत्रालय के अधीन दो अधीनस्थ कार्यालयों नामतः (i) भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम) और (ii) होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला (एचपीएल) और एक स्वायत्त निकाय नामतः भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) के विलय के माध्यम से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) को एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में पुनर्गठित करने के संबंध में दिनांक 3 जून, 2020 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुक्रम में दिनांक 6 जुलाई, 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-डब्ल्यू- 20072020-220580 और व्यय विभाग की दिनांक 20.05.2026 की आईडी संख्या 16(1)/आयुष/ईसीआई/2026 के अनुसरण में, संघ सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है:-

“मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विलय की गई इकाई के लिए संस्वीकृत नफरी के आधार पर, आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय- भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) में निदेशक (वेतन

मैट्रिक्स में स्तर 14) के पद को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि (अर्थात् दिनांक 03 जून, 2020) से एतद्वारा नफरी पर लिया गया है।”

[फा. सं. वाई-18020/9/2026-एलपी.]

मदन लाल मीणा, *अवर सचिव*

## MINISTRY OF AYUSH

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2026

**S.O. 2869(E).**— In pursuance of the Cabinet Decision dated the 3rd June, 2020 regarding the re-establishment of the **Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H)** as a subordinate office under the Ministry of Ayush through the merger of two Subordinate Offices named (i) Pharmacopoeia! Laboratory of Indian Medicine (PLIM) and (ii) the Homoeopathic Pharmacopoeial Laboratory (HPL) and one autonomous body named Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H) followed by the Gazette Notification No. CG-DL-W-20072020-220580 dated the 6th July, 2020, and the DoE's ID No. 16(1)/AYUSH/ECI/2026 dated 20.05.2026, the Central Government hereby notifies the following:

"On the basis of the Sanctioned Strength approved by the Cabinet for the merged entity, the post of **Director (Level 14 of the Pay Matrix)** is hereby taken on the strength of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H), a subordinate office under the Ministry of Ayush, with effect from the date of approval by the Cabinet (i.e. 03rd June 2020 )."

[F. No. Y-18020/9/2026-LP]

MADAN LAL MEENA, Under Secy.